अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और स्पार्टन एंटी-सबमरीन वॉरफेयर सॉल्यूशन्स (सोनोबॉय) के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

मुंबई, 19 मई (का.सं.)। अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस, जो भारत की रक्षा और एयरोस्पेस इंडस्ट्री का एक प्रमुख नाम है, ने स्पार्टन (डेलीऑन स्प्रिंग्स एलएलसी) के साथ एक समझौता किया है। स्पार्टन एल्बिट सिस्टम्स समूह की कंपनी है और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स बनाने में अग्रणी है। यह साझेदारी भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और उन्नत एएसडब्ल्यू समाधानों की असेंबली को भारत में ही करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस साझेदारी के साथ, अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जो स्वदेशी सोनोबॉय समाधान प्रदान करती है। यह कदम देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस साझेदारी में स्पार्टन की उन्नत एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (एएसडब्ल्यू) तकनीक और अदाणी डिफेंस की भारतीय नौसेना के लिए विकास, निर्माण और रख-रखाव की विशेषज्ञता को मिलाया जाएगा।

सोनोबॉय ऐसी अहम तकनीक है, जो समुद्र के नीचे की जानकारी बढ़ाने में मदद करती है। ये पनडुब्बियों और अन्य पानी के नीचे छिपे खतरों का पता लगाने, उनकी स्थिति जानने और उन पर नजर रखने के लिए एक प्रभावी साधन हैं। ये एंटी-सबमरीन वॉरफेयर और अन्य नौसैनिक अभियानों में अहम भूमिका निभाते हैं और नौसेना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ नेवल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की रक्षा में भी मदद करते हैं। कई दशकों से भारत इस महत्वपूर्ण नौसैनिक तकनीक को विदेशी बाजारों से आयात करता रहा है, जिससे देश की विदेशी कंपनियों (ओईएम) पर निर्भरता बढ़ती रही है। अब 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत, स्पार्टन और भारतीय नौसेना के बीच पहले से चले आ रहे सहयोग से अदाणी डिफेंस को इसके लिए सक्षम बनाया गया है कि वह इन समाधानों को पूरी तरह भारत में ही तैयार कर सके, जो भारत में निर्मित, भारत के लिए हो। इससे न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि देश में रक्षा तकनीक का विकास और निर्माण भी मजबूती से आगे बढ़ेगा।

अजमेर-जयपुर बाईपास पर SC/ST व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, केकड़ी एडीएम को सौंपा ज्ञापन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 19 मई (दीपांकुर चौहान)। केकड़ी के अजमेर-जयपुर बाईपास मार्ग स्थित प्रेम मैरिज गार्डन के पास की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरोध में सोमवार को दो पीड़ित विधवा महिलाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रार्थियाएं प्रेमदेवी पत्नी स्व. भंवरलाल और सुमित्रा देवी पत्नी स्व. कालूराम निवासी केकड़ी ने आरोप लगाया कि भूमि जो अनुसूचित जाति/जनजाति और सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है उस पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कब्जाधारियों द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए और विधवा महिलाओं को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन सौंपते समय सामाजिक कार्यकर्ता कविता कुमारी बलाई मेघवंशी, अंजना एवं लादी भी उपस्थित रहीं। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

लाल मुंह के उत्पाती बंदरों से चौमू शहरवासी बेहद परेशान

नगरपरिषद नहीं दे रहा ध्यान, कब शुरू होगा बंदरों को पकड़ने का काम, ठेकेदार बंदरों को पकड़ने में नहीं दिखा रहा रूची

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 19 मई (का.सं.)। नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों लाल मुंह के बंदरों का आतंक बना हुआ है। इतना ही नहीं यह लाल मुंह के आतंकी बंदर घरों में घुसकर बर्तन, कपड़े सामान आदि उठाकर ले जाते हैं। कई बार तो यह बच्चों, स्त्री, पुरूषों को भी काट लेते हैं।

चौमू नगर परिषद के वार्ड नंबर 15, तारा कॉलोनी, तहसील कोर्ट परिसर, धोली मंडी, इंदिरा कॉलोनी, रावण गेट, होली दरवाजा बाहर, चौपड़, ब्रह्मपुरी, पशुपतिनाथ गौशाला, गवारीयो की मोरी, मोरीजा रोड स्थित कृष्णा कॉलोनी, आदित्य नगर, जयपुर रोड, अशोक विहार, कचोलिया, मगध नगर सहित नगर के अन्य वार्डो सहित परकोटे में भी इन लाल मुंह के बंदरों ने अपना इतना आतंक मचा रखा है कि उनके आगे आमजन पूरी तरह से ही बेबस नजर आ रहा है। इन बंदरों को पकड़वाने के लिए क्षेत्र के आम नागरिकों व सामाजिक संगठनों के द्वारा भी पूर्व में नगर परिषद प्रशासन को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे चौमू शहर की आम जनता बेहद परेशान है। लेकिन अभी तक भी इन लाल मुंह के बंदरों को पकड़ने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। नगर परिषद ने इन खतरनाक लाल मुंह के बंदरों का आमजन में इतना भय व्याप्त हो गया है कि वे दिन में भी इन बंदरों से डरने लगे हैं। तहसील भवन के पीछे, तारा कॉलोनी निवासी अरविंद भातरा ने बताया कि यह लाल मुंह के बंदर लोगों पर अचानक आकर हमला करते हैं और अपने नुकीले दांतों से लोगों को काट लेते हैं। यह उत्पाती बंदर घरों से कपड़े भी उठा कर ले जाते हैं और उन्हें फाड़ देते हैं। रात्रि समय में भी यह उत्पाती बंदर अपना उत्पात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिससे इन उत्पाती बंदरों के आतंक से चौमू नगर परिषद की आम जनता बेहद परेशान है। हालांकि पिछले वर्ष सितंबर माह में दोसा की एक फर्म संकल्प ट्रेडर्स को इन उत्पाती बंदरों को पकड़ने के लिए दो लाख ।पए में एक वर्ष के लिए टेंडर दिया गया था। इसके बावजूद भी ठेकेदार के द्वारा बंदरों को पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि वह इस कार्य में ।चि नहीं ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन के द्वारा ठेकेदार को नोटिस देकर अपने कार्य की इतिश्री कर ली गई है। जिससे इन बंदों के उत्पादन से चौमू शहर की जनता बहुत परेशान हो रही है। इस संबंध में नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक जयकिशन सैनी का कहना है कि एक साल पहले बंदरों को पकड़ने का ठेका दिया गया था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा बंदरों को नहीं पकड़ा गया है। ठेकेदार को तीन बार नोटिस भी दिए जा चुके हैं। उसके बावजूद भी उसके द्वारा बंदरों को नहीं पकड़ा जा रहा है। जल्दी ही उसे ब्लैक लिस्ट करने की कार्य वाही अमल में लाई जाकर नए ठेकेदार को ठेका देने की प्रक्रिया की जाएगी।

बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ चौमू की बैठक आयोजित, केदार छीपा बने अध्यक्ष

राजेंद्र गुलिया को बनाया श्री सांवलिया सेठ भक्त मंडल का अध्यक्ष एवं दीपा पारीक महिला मंडल अध्यक्ष बनी

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 19 मई (का.सं.)। शहर में बाबा अमरनाथ कावडिया संघ के तत्वावधान में आयोजित होने वाली 11वीं कावड़ यात्रा दिनांक 27- 28 जुलाई 2025 के लिए रविवार को शहर के रेनवाल रोड अंडरपास स्थित श्रीवीर तेजाजी धाम पर एक बैठक का आयोजन किया गया 7 बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष रमेश देवन्दा, मंत्री अशोक पारीक ने वर्ष 2024-25 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें वर्ष भर के कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई उसके पश्चात अटल मेठी, एडवोकेट कुमार गौरव सैनी ने कावड़ यात्रा 2024 का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया एवं कावड़ यात्रा की आय-व्यय की जानकारी दी गई। उसके पश्चात उपस्थित सैकड़ो कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वसम्मति से श्री सांवलिया सेठ भक्त मंडल का गठन किया गया। जिसमें राजेंद्र गुलिया को अध्यक्ष व आशीष तांबी को मंत्री बनाया गया। उपस्थित सभी समाज बंधुओ में करतल ध्वनि से स्वागत किया। बैठक में बाबा अमरनाथ कावड़िया संघ की 11वीं कावड़ यात्रा वर्ष 2025 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें अध्यक्ष केदार छीपा, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कुमावत, रजत अग्रवाल महामंत्री, पूरण सैनी कोषाध्यक्ष, ष्ट ताराचंद कुमावत, प्रतीक शर्मा, मनीष टेलर, आशीष तांबी व्यवस्थापक अशोक पारीक, प्रवीण सैनी, सिद्धांत जैन, रिंकू सैनी, नगर मंदिर प्रमुख अविनाश सैनी, यात्रा प्रारंभ स्थल प्रमुख राधावल्लभ रावत, वाहन व्यवस्था प्रमुख तुषार सैनी, भोजन सामान आपूर्ति प्रमुख शंकर जिंदल, भोजन भंडार प्रमुख कमलेश सैनी, भोजन वितरण प्रमुख अशोक कुमावत, हैप्पी पारीक, मंदिर श्री

मालेश्वरनाथ सजावट प्रमुख सागर सैनी, यात्रा समापन स्थल प्रमुख कालूराम गोदारा, छायांकन प्रमुख निखिल तिवारी, प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक तंवर, आतिशबाजी प्रमुख छोटू अग्रवाल तथा स्वस्ति वाचन परम सानिध्य पंडित श्री हेमंत भातरा में रहेगा। महिला अध्यक्ष दीपा पारीक, मंत्री सुमन यादव मार्गदर्शक सुरेश गोदारा, राजेंद्र गुलिया, अर्जुन यादव, मृत्युंजय आत्रेय, एडवोकेट प्रदीप शर्मा, पार्षद संदीप शर्मा आदि को बनाया गया। बैठक में सैकड़ो की संख्या में बाबा अमरनाथ कावडिया संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंत में सभी आगंतुकों व कार्यकर्ताओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार का शीशा तोड़कर गाड़ी में रखें दो लाख रुपये अज्ञात बदमाश लेकर फरार

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

बघेरा/केकड़ी 19 मई (दीपांकुर चौहान)। बघेरा के ब्रह्माणी माता मन्दिर के पास खड़ी कार से बीती रात्री को अज्ञात बदमाशों ने कार के शीशे को तोड़कर उसमें रखे दो लाख रुपये निकाल कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात रविवार रात को करीब 8 बजे के लगभग की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार टोंक से प्रोपर्टी डीलर प्रेमचन्द पुत्र मोहन गुर्जर निवासी साबरी, रामराज पुत्र किशन नाथ निवासी भरनी, अब्दुल पुत्र मोहम्मद नईम निवासी पुरानी टोंक, तारा चन्द पुत्र हेमराज निवासी दूनी, छोटू लाल गुर्जर निवासी ककराज टोक स्विफ्ट डिजायर कार मे सवार होकर केकड़ी आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते मे बघेरा के पास ब्रह्माणी माता मन्दिर मे दर्शन के लिए सक गए। रात को करीब 8 बजे के लगभग कार को मन्दिर के बाहर सड़क किनारे बनी दुकानो के पास कार को खड़ी कर पांचो व्यक्ति मन्दिर में दर्शन करने के लिए चले गए। पांचो मन्दिर में दर्शन कर जब वापिस लौटे तो कार के पिछली फाटक का शीशा टूटा हुआ था। कार अन्दर एक पत्थर पड़ा हुआ था। वही कार में रखें हुए दो लाख रुपये गायब मिले। पीडित ने बघेरा पुलिस चौकी पर घटना की सूचना दी जिस पर पुलिस चौकी पर कार्यरत कान्सटेबल पुखराज मौके पर पहुंचे तथा घटना की सूचना पुलिस सिटी थाना केकड़ी को दी जिस पर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा मय पुलिस जाप्ते के घटना स्थल पर पहुंची तथा मौका मुआवना कर वारदात के सम्बन्ध में जानकारी ली। पांचो व्यक्तियों से पूछताछ कर बयान लिए तो पांचो के विरोधाभाषी बयान सामने आए जिससे पुलिस को पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे टोंक से केकड़ी में दुकान खरीदने का सौदा करने जा रहे थे।

दीपक सिंह नरूका जिला अध्यक्ष एवं महेशपाल सिंह जादौन महामंत्री निर्वाचित

गंगापुर सिटी, 19 मई (मदन मोहन गर्ग)। श्री राजपूत सभा सवाई माधोपुर की महत्वपूर्ण बैठक श्री राजपूत सभा जयपुर से आए प्रदेश स्तरीय पर्यवेक्षक दल की उपस्थिति में होटल दी नरूका प्राइड में आयोजित की गई। इस बैठक में समाज की विभिन्न ज्वलंत समस्याएं पर विचार करने के साथ ही राजपूत सभा सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री का तीन वर्षीय कार्यालय समाप्त होने पर चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश स्तरीय पर्यवेक्षक दल में अजय पाल सिंह पचकोडिया संगठन मंत्री, गोपाल सिंह रोजदा, अजवीर सिंह जीरोता, गजराज सिंह कैलाई एवं अधोसिंह एडवोकेट उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री पद पर लगातार चौथी बार क्रमशः दीपक सिंह नरूका एवं महेश पाल सिंह जादौन निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस अवसर पर दीपक सिंह नरूका अपने संबोधन में पुनः जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने पर समाज के प्रति तन मन धन से सहयोग का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर इंदर सिंह नरूका, अशोक सिंह बडिला अमर सिंह बाढ़, विजय सिंह, भंवर सिंह, माधोसिंह, शम्भू सिंह जादौन, पुष्पेंद्र सिंह बाटोदा, जितेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह नरूका, महेश सिंह सरपंच, अविनाश सिंह, राजपाल सिंह, रघुराज सिंह नरूका, नरेंद्र सिंह चौहान, कपिल सिंह पिचनौत, मोहित सिंह नरूका, भवानी सिंह भागलपुर, राजेंद्र सिंह नरूका, ब्रजराज सिंह जादौन, विष्णु सिंह नरूका, देवेंद्र सिंह राजावत, विक्रम पाल जादौन, अजय सिंह राठौड़, सहित सैकड़ो राजपूत सरदार उपस्थित रहे। अंत में महामंत्री महेश पाल सिंह ने सभी आगंतुक महानुभावों का आभार व्यक्त किया

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित तीन लोगों के विरूद्ध मानहानि का नोटिस

लखनऊ, 19 मई (वेब वार्ता)। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ समाजवादी पार्टी (सपा) के मीडिया सेल द्वारा की गई अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष एवं मीडिया सेल के विरूद्ध मानहानि का नोटिस भेजा गया है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल ने बताया कि मेरे द्वारा तीनों लोगों को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। तीनों से पन्द्रह दिनों के भीतर सार्वजनिक मंच पर ब्रजेश पाठक पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में माफी मांगने को कहा है। यदि उनकी ओर से माफी नहीं मांगी जाती है तो इसके बाद कोर्ट में दस्तक देंगे। अखिलेश यादव सहित तीनों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी विवाद दिखाना कतई उचित नहीं: चिराग पासवान

पटना, 19 मई (वेब वार्ता)। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में बेनकाब करने के लिए कई देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला किया है। इन प्रतिनिधिमंडलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी शामिल किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होंगे।

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन सभी विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब अंतरराष्ट्रीय मंच की बात की जाती है और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, तो इन विषयों को लेकर विवाद कतई उचित नहीं है। उन्होंने आगे नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपको कोई द्वेष है, तब भी इतर बैठकर उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन, दुनिया के सामने इस तरह की बातों को उजागर करना मुझे नहीं लगता कि यह देशहित में है। इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोमवार को हुई मुलाकात को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कई विषयों को लेकर उनसे चर्चा हुई। इससे पहले चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की थी। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने रविवार को मुख्यमंत्री पद को लेकर साफ कहा था कि मुख्यमंत्री के लिए बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।

नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद जीत दर्ज कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी। उन्होंने दरभंगा में कहा था कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं और भविष्य में भी वही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से नीतीश कुमार ही आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की सोच बिहार के विकास की है, और प्रधानमंत्री की सोच वाली सरकार का नेतृत्व वही करेंगे।

जयपुर में कार ने इंजीनियर स्टूडेंट को मारी टक्कर,मौत

जयपुर, 19 मई (का.सं.)। जयपुर में एक सड़क हादसे में 20 साल के इंजीनियर स्टूडेंट की मौत हो गई। मृतक रवि सिंह एग्जाम खत्म होने पर गोविंद देव जी के दर्शन के लिए सुबह घर से निकला था।

घटना झोटवाड़ा थाने इलाके में रविवार सुबह 4 बजे की है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। रवि हरमाड़ा थाना इलाके के लोहा मंडी में रहता था। वह बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक (कम्प्यूटर साइंस ब्रांच) की पढ़ाई कर रहा था और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। एक्सीडेंट थाना (वेस्ट) के हेड कॉन्स्टेबल महावीर ने बताया कि रवि सिंह के शनिवार को सेमेस्टर के एग्जाम पूरे हुए थे। इस पर सुबह 4 बजे गोविंद देवजी मंदिर में मंगला दर्शन के लिए घर से निकला। इसी दौरान अम्बाबाड़ी तिराहे के पास पीछे से आ रही ओवर स्पीड कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रवि उछलकर सड़क पर गिरा और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पर पुलिस उसे कांवटिया हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।

TYGER CAPITAL

टायगर कैपिटल प्रा. लि.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा **सूचना** दी जाती है कि **टायगर कैपिटल प्रा. लि.** (पूर्व अदाणी कैपिटल प्रा. लि. के रूप में ज्ञात) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित कार्यालय/स्पोक कार्यालय को 25 अगस्त, 2025 से बंद कर देगा।

शाखा का नाम	शाखा का पता
प्रतापगढ़	पहली मंजिल, श्री सांवरिया कॉम्प्लेक्स के ऊपर, एम जी रोड, प्रतापगढ़ - 312 605
शाहपुरा	शॉप # 201, दूसरी मंजिल, हनुमत प्लाजा, पिपली तिराहा, दिल्ली रोड, जिला - जयपुर, शाहपुरा - 303 103

किसी भी पूछताछ या सहायता के मामले में संबंधित हितधारक टोल फ्री नंबर 1800 210 0444 पर संपर्क कर सकते हैं।

कॉर्पोरेट कार्यालय: वन बीकेसी, सी-विंग, 1004/5, 10वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई 400 051 महाराष्ट्र, भारत। टेली: +91 22 6241 1200, फैक्स: +91 22 2652 0650 I https://tygercapital.in/
CIN: U65990GJ2016PTC093692 I हमसे यहाँ संपर्क करें: 1800 210 0444 I ई-मेल: customercare.tcpl@tyger.in

VASTU HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र
CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्ज़ा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और धारा 13(12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 के साथ पठित हैं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002, ने एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदारों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड शाखा के प्रभार के अधीन होगा जो नीचे दी गई राशि और उस पर ब्याज के लिए होगा, लागत आदि।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और लैन नंबर	मांग सूचना की दिनांक और राशि	संपत्ति का विवरण	दिनांक और प्रकार का स्वामित्व
1.	मदन सिंह, राधा, बालु सिंह LP0000000150088	25-सितम्बर-24 रु. 673639 16-सितम्बर-24 तक	पट्टा संख्या- Jwr 80043, खसरा संख्या- 203/2.00, ग्राम- ताप का खेड़ा, ग्राम पं. - खोखरिया खुर्द, पं. सं.- भवानीमंडी, पचपहाड़, झालावाड़, राजस्थान, 326512, माप 1176 वर्ग फुट। उत्तर: उमर सिंह का घर, दक्षिण: महेंद्र सिंह का घर , पूर्व: रामभाऊ आसोले की खुली भूमि, पश्चिम: आम सड़क	भौतिक कब्ज़ा 14-मई-25 को लिया गया

दिनांक : 20.05.2025
स्थान : झालावाड़
अधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूपी का व्यापारी गिरफ्तार

लखनऊ, 19 मई (वेब वार्ता)। जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई हरियाणा की यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिए जासूसी करने के आरोप में रामपुर से एक व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी की पहचान शहजाद के रूप में हुई है। उसे एसटीएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधियों में शामिल होने की खुफिया जानकारी के आधार पर मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया।

मराठी में अमायरा ट्रेलर का अभूतपूर्व स्वागत

मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड प्रोडक्शन ने शाम तक 4 लाख से ज्यादा दर्शकों तक पहुँच बनाई

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

मुंबई, 19 मई (का.सं.)। शेनाई चोगले, वलू, संहिता और विजेता सहित 5 हिट मराठी फिल्मों की सफलता के बाद, मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड की नवीनतम मराठी फिल्म अमायरा अपने रिश्तों के मार्मिक चित्रण, बहुस्तरीय कहानी और मधुर संगीत के साथ दर्शकों को लुभा रही है। फिल्म अपनी ताज़ा कहानी और दमदार अभिनय के लिए पहले से ही काफी ध्यान आकर्षित कर रही है।

साई गोडबोले, अजिंक्य देव और राजेश्वरी सचदेव अभिनीत अमायरा प्रेम, परिवार और उन बंधनों की जटिलताओं को आधुनिक लेकिन जड़ दृष्टिकोण से दर्शाती है, जो हमें परिभाषित करते हैं। फिल्म सभी उम्र के दर्शकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने का वादा करती है।

फिल्म के बारे में बात करते हुए, सुभाष घई ने कहा, अमायरा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक हिस्सा है, जो हम सभी के भावनात्मक अनुभवों को दर्शाता है। आज के समाज में परिवार के भीतर दोस्ती का तत्व एक महत्वपूर्ण जरूरत है, और मैंने हमेशा ऐसी कहानियों का समर्थन करने में विश्वास किया है, जो समकालीन आवाज़ और बेहतरीन संगीत के साथ आधुनिक भारतीय मूल्यों पर आधारित हों। अमायरा ने मेरे और इसे देखने वाले सभी लोगों के दिल को छू लिया है। यह इस बात का प्रमाण है। इस फिल्म का निर्देशन नए ज़माने के प्रतिभाशाली निर्देशक लोकेश गुप्ते और लेखक मिहिर राजा ने किया है। गहराई और संवेदनशीलता के साथ रचित फिल्म का संगीत एक प्रमुख आकर्षण होने की उम्मीद है। एक अनूठी कहानी वाली यह जरूर देखने वाली मराठी फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। अब आप टिप्स मराठी पर इसके संगीत को सुन सकते और उसका आनंद ले सकते हैं।

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन:-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
बीकानेर शाखा:-बी-46-बी, दूसरी मंजिल, सादुल गंज, बीकानेर-334002 जयपुर शाखा:-एसबी-59, यूडीबी टावर्स, पहली मंजिल, सामने जयपुर नगर निगम, टोंक रोड, जयपुर-302015

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार "**जैसी है जहां है**", "**जैसी है जो है**" तथा "**जो भी है वहां है**" आधार पर बेची जाएगी। एतद्द्वारा कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः www.pnbhousing.com में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10:) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
NHL/BIK/0818/562866, बी.ओ. बीकानेर, अरुण नवलखा/ममता नवलखा एवं श्रीमती मोहिनी देवी नवलखा	15.07.2022 तक रु. 1554958.09	भौतिक कब्जा	प्लॉट नंबर 1056, वार्ड नंबर 07, नोखा, बीकानेर, राजस्थान, भारत-334803	रु. 2000000	रु. 200000	09.06.2025	रु. 10000	02.06.2025 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30	10.06.2025 अप.02.00 बजे से अप. 3.00	Not Known
HOU/JPR/1219/765314, बी.ओ. जयपुर,शांति देवी/गोविंद जयसवाल पूनम जयसल	23.06.2021 तक रु. 8,16,529	भौतिक कब्जा	फ्लैट नंबर 9, तीसरी मंजिल, ईडब्ल्यूएस ए, मोजिका लक्ष्मी विहार, 33, श्री रामपुरा बास, भांकरोटा, तेशिल सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, भारत-302006	रु. 654000	रु. 65400	09.06.2025	रु. 10000	02.06.2025 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30	10.06.2025 अप.02.00 बजे से अप. 3.00	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारी की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। 1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परन्तु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(सें) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। 3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (बयाना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। 4. सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट - www.bankeauctions.com सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **श्याम सिंह राजपुरोहित, संपर्क नंबर 1800 120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा www.pnbhousing.com पर देखें

स्थानः राजस्थान, दिनांकः 20-05-2025
प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेल: yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08